

TIAS से संपर्क कैसे करें:

TIAS सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच उपलब्ध है (सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर)।

TIAS से नि:शुल्क फोन नम्बर पर संपर्क किया जा सकता है:

1800 060 462

Tenancy Advisors (किरायेदारी सलाहकार) **केवल अपॉइंटमेंट बुक करके** ही चुनिंदा कार्यालयों पर आमने-सामने की पूछताछ के लिए उपलब्ध हैं।

TIAS के कार्यालय:

किरायेदारी सलाहकारों से आमने-सामने की पूछताछ के लिए पहले उनसे अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए और वे निम्नलिखित स्थानों के चुनिंदा Job Prospects कार्यालयों में उपलब्ध होते हैं:

- पश्चिमी सबर्ब
- उत्तरी सबर्ब
- दक्षिणी सबर्ब
- महानगरीय क्षेत्र

अपॉइंटमेंट का समय बुक करने के लिए कृपया व्यापारिक समय के दौरान **1800 060 462** पर फोन करें।

TIAS कार्यालयों की वर्तमान सूची के लिए कृपया www.tias.org.au देखें

उन घर-परिवारों को प्राथमिक रूप से सहायता दी जाएगी जो अपनी आय का 30% से अधिक भाग किराया देने पर खर्च कर रहे हैं।

TIAS

TENANTS' INFORMATION & ADVISORY SERVICE

किरायेदारों के लिए सूचना एवं परामर्शी सेवा



साउथ ऑस्ट्रेलिया में किरायेदारों को सलाह और सहायता प्रदान करना।

TIAS एक राज्य-व्यापी सेवा है जो निम्न आय वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए उन्हें नि:शुल्क और स्वतंत्र सूचना, सलाह और पक्षसमर्थन प्रदान करती है ताकि वे गैर-सरकारी रेंटल, कम्युनिटी हाउसिंग (सामुदायिक आवास) या पब्लिक हाउसिंग (सरकारी आवास) में अपनी किरायेदारी जारी रख सकें।

www.tias.org.au

 SYCLtd
  SYCLtd
  hypa_sync
  SYC Limited

www.syc.net.au



Government of
South Australia



TIAS क्या प्रदान कर सकती है?

- किरायेदार के तौर पर आपके अधिकारों और जिम्मेदारियों से सम्बन्धित शिक्षा, जानकारी और सलाह
- साउथ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और प्रशासनीय ट्रिब्यूनल (South Australian Civil and Administration Tribunal - SACAT) पर होने वाली सुनवाईयों में प्रतिनिधित्व और सहायता
- मध्यस्थता प्रक्रियाओं और आवासीय प्रदाताओं के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता
- उचित आवासीय प्रदाताओं के यहाँ अपील करने की आंतरिक विधियों तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता
- आपकी परिस्थितियों के लिए उचित वित्तीय परामर्श और अन्य सेवाओं को रेफरल और इनकी सूचना



क्या आप TIAS से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं?

निम्न आय वर्ग के घर-परिवारों को निम्नलिखित में सहायता प्रदान की जा सकती है:

- पब्लिक हाउसिंग (सरकारी आवास)
- गैर-सरकारी रेंटल
- कम्युनिटी हाउसिंग (सामुदायिक आवास)
- हाउसिंग को-ऑपरेटिव (आवासीय सहकारी समितियाँ)

उन घर-परिवारों को प्राथमिकता देते हुए सहायता दी जाएगी जो अपनी आय का 30% से अधिक भाग किराया देने पर खर्च कर रहे हैं।

यदि आपको पक्का पता नहीं है कि क्या आप पात्र हैं या नहीं, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए www.tias.org.au देखें।

TIAS किन मामलों में मदद करती है?

TIAS आपकी किरायेदारी से सम्बन्धित किन्हीं मामलों में मदद करती है जैसे कि:

- लीज
- बांड संबंधी विवाद
- प्रापर्टी का रखरखाव
- SACAT प्रक्रियाएँ
- हाउसिंग SA और कम्युनिटी हाउसिंग की प्रक्रियाएँ और अपीलें
- बकाया किराये

TIAS आपके लिए वकालत **नहीं कर सकती है**, पर फिर भी आपको परामर्श और सामान्य सूचना प्रदान करने में सक्षम हो सकती है यदि आप:

- किसी बोर्डिंग हाउस या रूमिंग हाउस के निवासी हैं
- किसी कैरावेन पार्क या आवासीय पार्क में रहते हैं
- आपातकालीन आवास की तलाश कर रहे हैं
- कोई एजेंसी या संस्था हैं
- पड़ोसी विवाद का सामना कर रहे हैं

